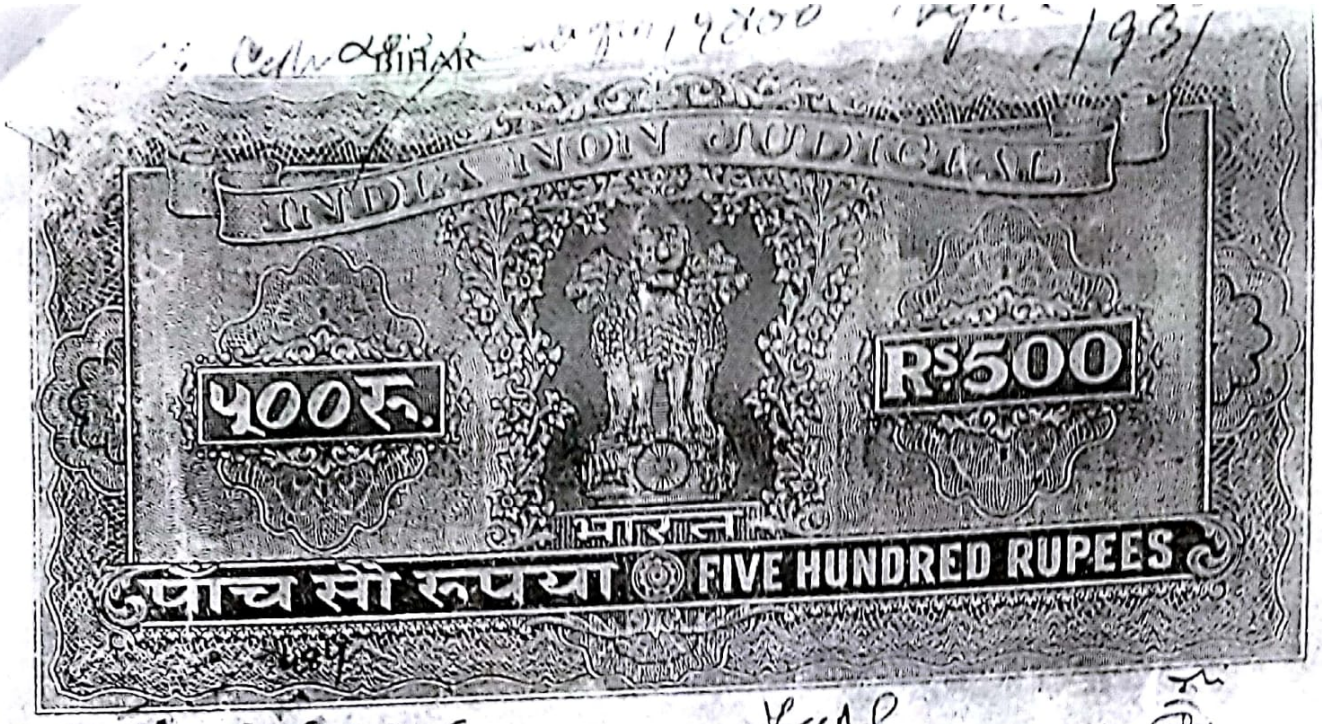


1 नाम साकिर - अकिदार लाभ मतथा नल्द स्वर्गीय श्री कृष्णदेव नारायण मतथा जात खत्री पेशा कास्त कारी साकिन मोहल्ला कुन्हौली गौशाला रोड टाउन मुजफ्फरपुर परगना निशारा इलाका थाना वो सबरजिस्ट्री मुनसीफी वो जिला मुजफ्फरपुर

2 नाम साकिर अलट - श्री श्याम किशोर प्रसाद नल्द स्वर्गीय श्री इश्वरी प्रसाद साकिन मोहल्ला लक्ष्मीसागर कोलोनी टाउन दरभंगा इलाके थाना वो सबरजिस्ट्री मुनसीफी वो जिला दरभंगा

3 किस्म दस्तावेज - केवाला नथा कबाली

4 तामदाद जरसेमन - मा० १९८००/- उनेश हजार आठ सौ रुपया के निस्फ जिस का मा० ९९००/- नौ हजार नौ सौ रुपया होता है

5 तफशील जायदाद - मनाजी १ छो० कक्का एराजी कनजा कास्त कायमी जिसका मोतानिकरे बाज पटना टाउन ८१६० आठ हजार एक सौ साठ स्क्वायर फीट होता है न० वार्ड मौजे मोहम्मदपुर फाजिल उर्फ चैन पुर परगना फुलवारी इलाके थाना दीघा वाला को-तवाली पटना सबरजिस्ट्री मुतबीफी वो जिला पटना मुत्तजमे नं० ५२० खेतीजी अदि जमिन्दारी रजाय मतालजारी ये कलक्टर रसद पटना थाना नं० ३ वार्ड नं० ३३

witnessed by Shakdeo Sahu
Mahalla Kanhauli Gonsahi
Circuit House Muzaffarpur

Mukesh Kumar

Scanned by CamScanner

Lecturer concerned

29/1/69

MUZAFFARPUR JUDICIAL
JAN 19-69
STAMP

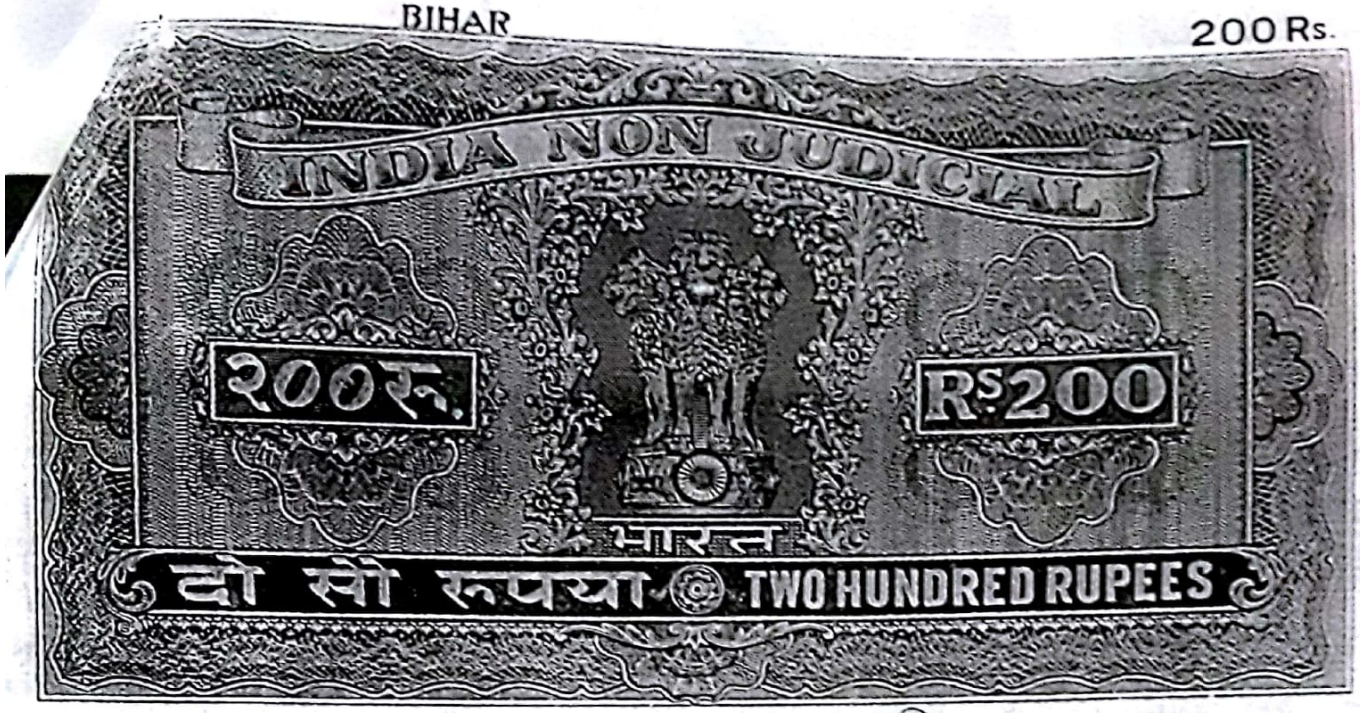
Lecturer concerned Dept.

14.3.69

14.3.69

Lecturer concerned Dept.
14.3.69

14.3.69



रवाता रकबा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम
१- १२ निः } १९ नाजरात्त. श्रीमती इमेला पाइपलाइन जो सने मार्ग नं० १०
१४- ११ निः } छौ-नका पीवनदनप्रसाद देवी प्लॉट नं० १२, १३ में छोड़ गया

नाली—उत्तर जारी २० अस्सी फीट दक्षिण जारी २० अस्सी फीट.
पूरब जारी १०२ एकसौ दो फीट. पश्चिम जारी १०२ एकसौ दो फीट.

सालगुजारी जमा शालाना मो० १=६ नै आ

चूं० एराजी सुन्दरजे स्थाने नं० ५ साबुकुल दिगर जाय ए नजरिये कैनाता निशानी रजिस्ट्री मरकुमे २१-९-१९४६ इस्वी नमिस्ते श्रीराम प्रगास नामधरा नगाम खुद मिनमोकिर के हासिल कर्दगी है एराजियात मजदूरी नदखना से मिनमोकिर के नवुन दस्तदराज परते जिससे नवरत आमदनी हासल एराजियात मजदूरीन का तरदुद बे तमाशा सोनारी ने तैर सकती है पातांते इसलिये मिनमोकिर को एराजियात मजदूरीन से मिलाजुलाक शानी के कोई फायदा नजर नहीं आता है इसलिये सिबमोकिर की यह राय हुई कि एराजियात मजदूरीन को फरोख्त कराके जरसेमन मजदूरी से उसके कोई दिगर जायदाद खरीद करें या जरमजदूर को कोई ऐसे दिगर कारबारमें लगावें के जिससे फायदा होने चुनानचे फरीकैन मजकूर बा मशवरे मतीरुलाहान अपने आपसमें तय पा चुके हैं इसलिये मिन मोकिर ने वास्ते फरोख्तगी मनाजी एराजी सुन्दरजे स्थाने नं० ५ साबुकुल जायदाद मौताजिकर सदर के एलान किया के सबब फरोख्तगी का पाकर मोकिर अलत ने मिनमोकिर को वास्ते बनाने मकान खुद नाश के शिर्फ छै कट्ठा एराजी सुन्दरजे स्थाने नं० ५ जरसेमन लेकर के बाला तहरीर बा तामिल कर देने के लिये वास्ते चुनानचे नरखमेयाद मिनमोकिर वो मोकिर अलत एराजी सुन्दरजे स्थाने नं० ५ का जरसेमन मो० १९८००/ उनैसौ हजार आठ सौ रुपया सुन्दरजे स्थाने नं० ४ तय पाया वो तयशुदह जरसेमन मोकिर अलत ने मिनमोकिर को मो० १६५०० सोलह हजार पांचसौ रुपया बजरिये बैंक ड्राफ्ट नं० ३५४८१० मरकुमे २६-१२-६८ को वा मो० ३३०० तीन हजार तीनसौ रुपया बजरिये ड्राफ्ट नं० ३५५०३६ मरकुमे १०-१-६९ के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मुजफ्फरपुर के चुकता देवांक कर दिया है अनजिमे मोकिर अलत निश्चित पावना जरसेमन एक रत्ती सुरा भी बांकी नहीं रहा ऐसी हालतमें मिनमोकिर को तहरीर वो [illegible]

Mullick Kumar

Scanned by CamScanner

6300
29/11/68 Sold with sl 6299

29/11/68





Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

रोड पश्चिम से पूरब जाने वाली सड़क से निकल कर उत्तर की तरफ़ जो गली
मस्जिद मन्दिर हसन के ओर दिखा गया है जो रास्ता उस के मालिक के
हवाले से फाजिल है उसपर मोकिर अलख का कोई हक़ाक़ी
कायम नहीं होगा सिर्फ अपने रास्ते के मद्दे नज़र में लाये गये बाता
ने इसके किसी भी हालत में मो कि अलख मौसूफ को इसी
हर कत सड़क मजकूरे के भरी लाये गये के जिससे दिगर
मन्दिर हसन को कोई सुबीवत उठानी पड़े इसलिये यह
फैसला कलमी राजा लिखदिया के सनद जायत पार
काम आवे.

M. [illegible]
ता. 1. 69.

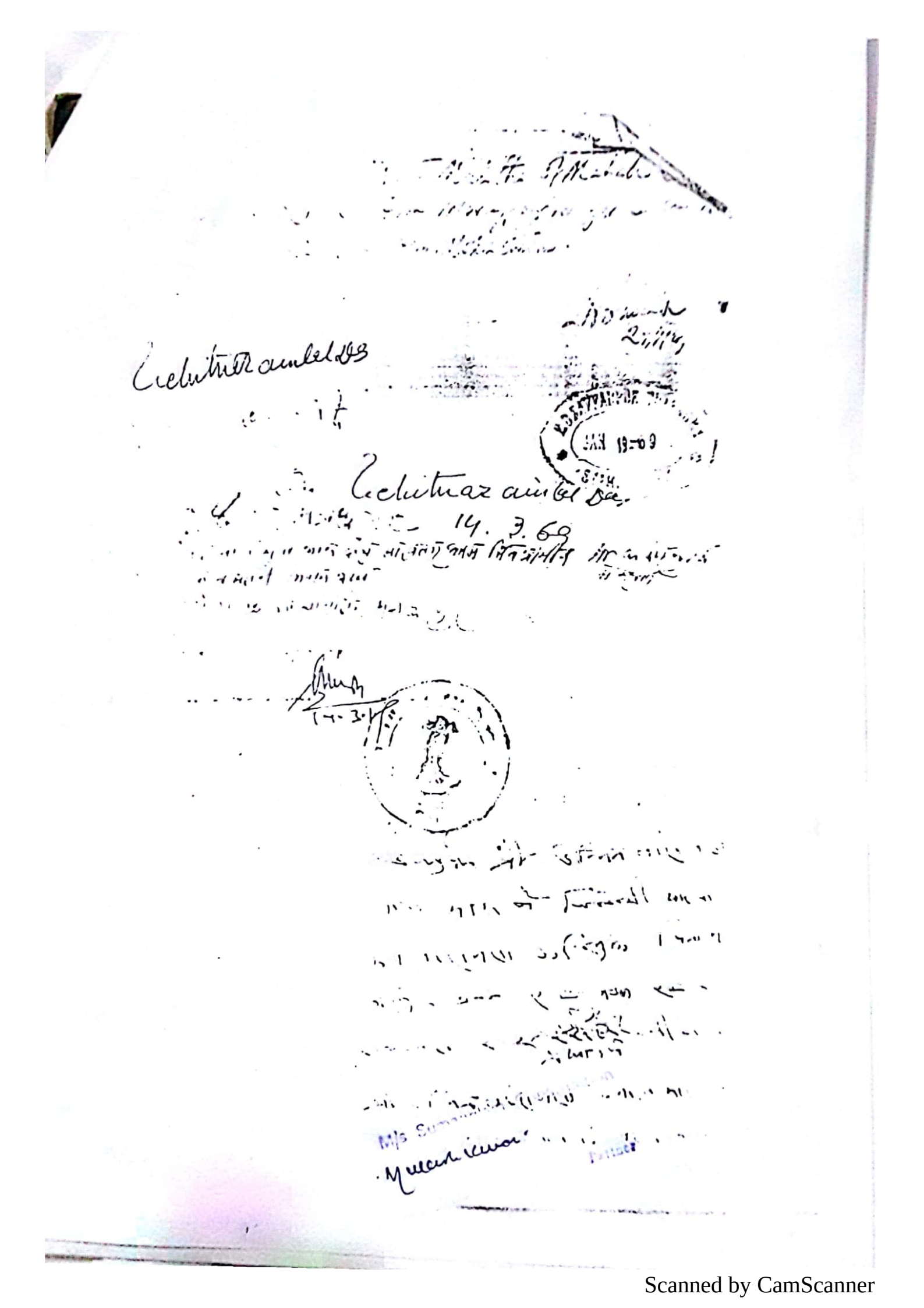
तहरीर ता. २ अगस्त ६९ बीसाफरमरी मन को सो उनतीस रुपी.

M/s Su[illegible]
Mukunda Kumar

6302
28/11/07 Sola Hoi ~ ~ 07 11

Anand
28/11/07

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

प्रपत्र संख्या–6

(नियम 8 देखिये)

बिहार सरकार

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार

मृत्यु प्रमाण-पत्र

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की
धारा 12/धारा 17 के अन्तर्गत निर्गत ।

प्रमाणित किया जाता है कि निम्न जानकारी मूल मृत्यु अभिलेख से प्राप्त की गई है,
जो बिहार राज्य के पटना
जिले के पटना सदर तहसील (अंचल/प्रखण्ड) के पटना नगर निगम
स्थानीय क्षेत्र संबंधी रजिस्टर में है ।

नाम श्याम किशोर प्रसाद

लिंग पुरुष

मृत्य की तारीख 21.11.2006

मृत्यु का स्थान मार्फ एस॰के॰पुरी, रोजडह स्कूल लेन, संजीव

पिता/पति का नाम स्व॰ ईश्वरी प्रसाद

स्थायी पता मार्फ एस॰के॰पुरी रोजडह स्कूल लेन, संजीव

रजिस्ट्रीकरण संख्या 10170

रजिस्ट्रीकरण की तारीख 25.11.2006

तारीख 27/11/06

निर्गत करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर
रजिस्ट्रार
जन्म-मृत्यु
पटना नगर निगम
पटना

मुहर

वि॰ व॰ मृ॰ (मुख्यालय) 6-(III)-7,13000

M/s Sumar... Partner
Mukesh Kumar

Scanned by CamScanner

563841

बिहार सरकार
GOVERNMENT OF BIHAR
(योजना एवं विकास विभाग)
(DEPARTMENT OF PLANNING AND DEVELOPMENT)

सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय
DIRECTORATE OF STATISTICS AND EVALUATION

मृत्यु प्रमाण-पत्र
DEATH CERTIFICATE

(जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12 के तहत बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के नियम 8(2) के अंतर्गत जारी किया गया।)

Issued under Section 12(1) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8(1) of the Bihar Registration of Births and Deaths Rules, 1999.

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न दिए गए मृत्यु के पूर्ण अभिलेख में से यह है कि (प्रमाणित करें)

This is to certify that the following information has been taken from the original record of death which is in the register for local area of Block/ Anchal (Anchal/Block) of District State : Bihar

नाम Name	लिंग Sex
मृत्यु की तिथि Date of Death	मृत्यु का स्थान Place of Death
माता का नाम Name of Mother	
पिता/पति का नाम Name of Father/Husband	
मृतक का मृत्यु के समय का पता Address of the deceased at the time of death	मृतक का स्थायी पता Permanent address of the deceased
पंजीकरण संख्या Registration No.	पंजीकरण दिनांक Registration Date
टिप्पणी Remarks (If any)	
जारी करने की तिथि Date of Issue	हस्ताक्षर एवं प्राधिकारी का नाम Signature of the issuing authority
	प्राधिकारी का पता Address of the issuing authority

रजिस्ट्रार
जन्म मृत्यु

Scanned by CamScanner



बिहार BIHAR

याददास्त बंटवारा

1. लेख्यकारीगण का नामः-

1. डॉ० अंजनी कुमार सिन्हा पिता स्व० श्याम किशोर प्रसादप्रथम पक्ष।
2. श्री अश्विनी कुमार पिता स्व० श्याम किशोर प्रसादद्वितीय पक्ष।
3. श्री अवनी कुमार सिन्हा पिता स्व० श्याम किशोर प्रसादतृतीय पक्ष।

Scanned by CamScanner

सभी निवासी महल्ला-उत्तरी श्रीकृष्णापुरी (रोड बह स्कूल लेन), थाना-श्रीकृष्णापुरी, जिला पटना, भारतीय नागरिक।

2. *नाम लेख्यधारीगणः-*
आपस में वहक एक दुसरे पक्ष के

3. *लेख्य प्रकारः-*
-यादद्दास्त बंट्वारा-पत्र

4. *तायदाद रूपयाः-*
----------x----------x--------

5. *बंट्वारा का सम्पतिः-*

जमीमा नं0-1

यह सम्पति आपसी बंट्वारा द्वारा प्रथम पक्ष डॉ0 अंजनी कुमार सिन्हा को मिला वो करार पाया।

मवाजी-2266.666 वर्गफीट (दो हजार दो सौ छियासठ वर्गफीट) जमीन मय मकान पक्का छतपोश, मिनजुमले-8160 वर्गफीट में से, अवस्थित महल्ला-उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, सर्वे मौजा-राजापुर, परगना एवं सर्वे थाना-फुलवारी, बाद थाना-दीघा, वर्तमान थाना-श्रीकृष्णापुरी, सब वो सदर रजिस्ट्री ऑफिस एवं जिला-पटना, अन्दर थाना नं0-03 (तीन), खाता नं0-14 एवं 01 (चौदह एवं एक), कैडेस्ट्रल सर्वे प्लौट नं0-11 एवं 12 (ग्यारह एवं बारह) का अंश, एवं लगान सालाना मो0-2/-रूपये अलावे शेष बजमिंदारी बिहार सरकार द्वारा अंचल कार्यालय पटना सदर को देय है और सम्पति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) एवं पटना नगर निगम के अन्दर है जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :-

चौहद्दी :-

उत्तर- श्रीमती ब्रजवाला सिन्हा
दक्षिण- श्री अश्विनी कुमार द्वितीय पक्ष
पूरब- सहायक सड़क
पश्चिम- सर्वे प्लौट नं0-10

Mukesh Kumar
Patna

(1) (DR ANJAN KUMAR SINHA) (2) (ASHWANI KUMAR) (3) (AWANISH KUMAR SINHA)

Scanned by CamScanner

नोट-श्री अंजनी कुमार सिन्हा को कुल हिस्से मवाजी 2266.666 वर्गफीट में से मवाजी-1225 वर्गफीट पूर्व बंटवारा दिनांक-01.01.1987 के अनुसार मिला था उस एराजी को इस बंटवारा के जमीमा नं0-1 में सम्मेलित कर दिया गया है।

जमीमा नं0-2

यह सम्पति आपसी बंटवारा द्वारा द्वितीय पक्ष अश्विनी कुमार को मिला वो करार पाया।

मवाजी-2266.666 वर्गफीट (दो हजार दो सौ छियासठ वर्गफीट) जमीन मय मकान पक्का छतपोश, मिनजुमले-8160 वर्गफीट में से, अवस्थित महल्ला-उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, सर्वे मौजा-राजापुर, परगना एवं सर्वे थाना-फुलवारी, बाद थाना-दीघा, वर्तमान थाना-श्रीकृष्णापुरी, सब वो सदर रजिस्ट्री ऑफिस एवं जिला-पटना, अन्दर थाना नं0-03 (तीन), खाता नं0-14 एवं 01 (चौदह एवं एक), कैडेस्ट्रल सर्वे प्लौट नं0-11 एवं 12 (ग्यारह एवं बारह) का अंश, एवं लगान सालाना मो0-2/-रुपये अलावे शेष बजमिंदारी बिहार सरकार द्वारा अंचल कार्यालय पटना सदर को देय है और सम्पति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) एवं पटना नगर निगम के अन्दर है जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :-

चौहद्दी :-

उत्तर-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा प्रथम पक्ष
दक्षिण-	श्री अवनी कुमार सिन्हा तृतीय पक्ष
पूरब-	सहायक सड़क
पश्चिम-	सर्वे प्लौट नं0-10

जमीमा नं0-3

यह सम्पति आपसी बंटवारा द्वारा तृतीय पक्ष श्री अवनी कुमार सिन्हा को मिला वो करार पाया।

मवाजी-2266.666 वर्गफीट (दो हजार दो सौ छियासठ वर्गफीट) जमीन मय मकान पक्का छतपोश, मिनजुमले-8160 वर्गफीट में से, अवस्थित महल्ला-उत्तरी

M/s Sumangalam Construction
Partner

श्रीकृष्णापुरी, सर्वे मौजा–राजापुर, परगना एवं सर्वे थाना–फुलवारी, बाद थाना–दीघा, वर्तमान थाना–श्रीकृष्णापुरी, सब वो सदर रजिस्ट्री ऑफिस एवं जिला–पटना, अन्दर थाना नं0–03 (तीन), खाता नं0–14 एवं 01 (चौदह एवं एक), कैडेस्ट्रल सर्वे प्लौट नं0–11 एवं 12 (ग्यारह एवं बारह) का अंश, एवं लगान सालाना मो0–2/–रुपये अलावे शेष बजमिंदारी बिहार सरकार द्वारा अंचल कार्यालय पटना सदर को देय है और सम्पति पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) एवं पटना नगर निगम के अन्दर है जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :–

चौहद्दी :–

उत्तर–	श्री अश्विनी कुमार द्वितीय पक्ष
दक्षिण–	श्रीमती उर्मिला देवी
पूरब–	सहायक सड़क
पश्चिम–	सर्वे प्लौट नं0–10

नोट–श्री अवनी कुमार सिन्हा को कुल हिस्से मवाजी–2266.666 वर्गफीट में से मवाजी–339.5 वर्गफीट पूर्व बंटवारा दिनांक–01.01.1987 के अनुसार मिला था उस एराजी को इस बंटवारा के जमीमा नं0–3 में सम्मिलित कर दिया गया है।

सन्दर्भ

यह कि इस विलेख में वर्णित सर्वे प्लौट नं0–11 एवं 12 में कुल मवाजी–06 कट्ठा अर्थात 8160 वर्गफीट को लेख्यकारीगण के पिता श्याम किशोर प्रसाद ने एक निबंधित वसीका बिक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक–14.03.1969 ई0 को श्री केदार नाथ महथा पिता स्व0 श्री कृष्णदेव नारायण महथा, निवासी महल्ला–कन्हौली गौशाला रोड, टाउन मुजफ्फरपुर, थाना एवं जिला–मुजफ्फरपुर से खरीद किये थे जिसका वसीका नं0–1931, बुक नं0–1, निबंधित निबंधन कार्यालय पटना है और खरीदारी बाद श्याम किशोर प्रसाद अपने उक्त खरीदगी सम्पति पर काविज दखिल वो मालिक मुस्तकिल रहते हुए स्वयं एवं अपने पत्नी श्रीमती वीणा प्रसाद, पुत्रबधु श्रीमती ब्रजवाला सिन्हा एवं पुत्रगण श्री अंजनी कुमार सिन्हा, श्री अश्विनी कुमार एवं श्री अवनी कुमार के मध्य दिनांक–01.01.

M/s Sumangalam Construction
Mukesh Kumar
Partner

Scanned by CamScanner

1987 ई0 को पारिवारिक व्यवस्था पत्र कर लिये जिसके अनुसार श्याम किशोर प्रसाद को मवाजी-2037 वर्गफीट मिला एवं मवाजी-1360 वर्गफीट अपने पुत्रबधु श्रीमती ब्रजवाला सिन्हा को मिला एवं मवाजी-1225 वर्गफीट डॉ0 अंजनी कुमार सिन्हा को मिला एवं मवाजी-339.5 वर्गफीट श्री अवनी कुमार सिन्हा को मिला एवं शेष मवाजी-3538 वर्गफीट भूखण्ड सामिलात रह गया और सभी पक्षकार उपरोक्त पारिवारिक व्यवस्था पत्र के माध्यम से प्राप्त हिस्से सम्पति पर दखल कब्जा में रहकर अपने-अपने नाम से भू-राजस्व रसीद कटवाते चले आते है। समयोपरांत श्याम किशोर प्रसाद का देहान्त दिनांक-21.11.2006 ई0 को हो गया तथा श्रीमती वीणा प्रसाद का देहान्त दिनांक-28.02.2011 ई0 को स्वर्गवास कर गई और पिता एवं माता के स्वर्गवास उपरांत तीनों भाई (लेख्यकारीगण) श्रीमती ब्रजवाला सिन्हा के हिस्से सम्पति को छोड़कर सम्पूर्ण पैतृक सम्पति पर काविज दखिल वो मालिक मुस्तकिल हुए वो रहते चले आते है वो है।

यह कि लेख्यकारीगण भविष्य की सुख-शांति हेतु आपस में यह राय कायम किया कि उक्त सम्पति को उक्त जमीमे के अनुसार बांट लिया जाए ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद या मतभेद न रहे और आपसी पारिवारिक संबंध कायम रहे। अतएव लेख्यकारीगण अपने-अपने स्वस्थावस्था में रहकर अपने-अपने सम्पूर्ण लाभ एवं हानि को समझ बुझकर वो अपने-अपने हितैषियों वो कानूनी सलाहकारो से राय एवं परामर्श लेकर बिना किसी दबाव, धमकाव एवं बहाव एकरार निम्नलिखित करते हैं :-

यह कि इस बंटवारा में वर्णित जमीमा नं0-1 के की सम्पति प्रथम पक्ष को मिला एवं जमीमा नं0-2 की सम्पति द्वितीय पक्ष को मिला तथा जमीमा नं0-3 की सम्पति तृतीय पक्ष को मिला वो करार पाया अब लेख्यकारीगण तीनों पक्ष आज कि तिथि से अपने-अपने जमीमे में मिले हक वो हिस्से की सम्पति को जिस तरह से चाहें अपने-अपने उपयोग वो उपभोग में लावें तथा लेख्यकारीगण प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष अपने-

M/s Sum... Construction
Mukesh Kumar
Partner

(DR ANJANI KR SINHA) (2) (ASHWANI KUMAR) (3) (AVANISH KUMAR)

Scanned by CamScanner

अपने मिले जमीमे की सम्पति के निस्वत अपना-अपना नाम संबंधित कार्यालय में दर्ज करवाकर अपने-अपने नाम से रसीद कटवा लेंगे इसमें एक दूसरे पक्ष को किसी तरह का आपत्ति या विरोध करने का अधिकार नहीं होगा तथा अब एक पक्ष को एक दुसरे पक्ष के जमीमे के हिस्से सम्पति से किसी तरह का इलाका वो सरोकार नहीं रहा वो न करेंगे अगर करेगें तो वो गलत वो अमान्य समझा जायेगा।

यह कि इस बंटवारा पत्र से लेख्यकारीगण तथा लेख्यकारीगण के उत्तराधिकारीगण भी बाध्य है वो होगें।

इस वास्ते यह तकसीमनामा (बंटवारा-पत्र) पर लेख्यकारीगण अपने-अपने पूर्ण स्वस्थावस्था में रहकर अपना-अपना हस्ताक्षर बना गवाहान के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे वो प्रमाण रहें।

तारीखः-

गवाहान का हस्ताक्षर

लेख्यकारीगण का हस्ताक्षर

(1) (DR. ANJANI KUMAR SINHA)

(2) (ASHWINI KUMAR)

(3) (ANJANI KUMAR SINHA)

Scanned by CamScanner

10/09/16

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

(भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र)

नाम अवनी कुमार सिन्हा पिता श्याम देव राय — प्रसाद ग्राम राजापुर

थाना मोकामा पुरी जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	एकवा एकड़	एकवा डि०
~~मौजा राजापुर~~ मौजा - राजापुर थाना - मोकामा पुरी थाना नं० - 03 R·T·P·S 01557 07/09/16		01, 14	11, 12	2267·116 एकड़	

अं० अ०

आवेदित भूमि का जमाबंदी दर्ज है/लगान रसीद वर्ष 2016-17 तक मौजूद है/भूमि दैनी खाता का है/भूमि पर आवेदक के दखल कब्जा है/जमाबंदी नं० - 4037 है/

अवनी कुमार सिन्हा
आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय का मुहर

9234198859

कार्यालय अंचल अधिकारी

कर्मचारी का प्रतिवेदन

10/9/16

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

Scanned by CamScanner

फरद मालकी / फरद रैयती। 107

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकुनत। नम्बर।

मौजा मय नम्बर

अराजी भावली तफसील हिसाब लगान भावली।

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

अदायगी बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल– गुजारी (नकदी)						
माल– गुजारी (भावली)						
सेस ...						
*सुद ...						
मुतफरकात ...						
मीजान						

तफसील अदायकारी।

अदायगी बाबत	बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल– गुजारी (नकदी)						
माल– गुजारी (भावली)						
सेस ...						
*सुद ...						
मुतफरकात ...						
मीजान अदायकारी						

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) —

(2) नाम देहिन्दा —

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया माल गुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु.(राजस्व) 1–2011

Scanned by CamScanner

वि०रा०भु०. पटना

(3)

0936
10/9/16
गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

(भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र)

नाम आश्विनी कुमार पिता स्व॰ शिवेश्वर राजापुर
थाना बीक्रमगंज जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा एकड़	रकबा डि०
ग्रा-रा०-03 मौजा राजापुर		01, 914	11, 12	2266.666	

अं०भा०
आवेदित भूमि की जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2016-17 तक निर्गत है। भूमि वैधानी अंचल कार्यालय के दखल कब्जा है। जमाबंदी नं 4035 है।

आश्विनीकुमार
आवेदक का हस्ताक्षर
9431491820
कार्यालय का मुहर

कर्मचारी का प्रतिवेदन
10/9/16
अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

बि0स0मु0. पटना। X,
फरद मालकी / फरद रैयती। 107
नाम मौजा मय वल्दियत जमाबन्दी
वो सकुनत। नम्बर।

नम्बर		अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली।

जोत का सालाना मांग मय तफसील बकाया व हाल मौजुआ साल का।

मांग अबवाब	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल– (नकदी)						
गुजारी } (भावली)						
सेस ...						
*सुद ...						
मुतफरकात ...						
मीजान						

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत	बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल– (नकदी)						
गुजारी } (भावली)						
सेस ...						
*सुद ...						
मुतफरकात ...						
मीजान अदायकारी						

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) --
(2) नाम देहिन्दा --
(3) कुल बकाया --

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खारा महाल का बकाया गातगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

बि.स.मु.(राजस्व) 1–2011

Scanned by CamScanner